सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 10, गुरूवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 01, 2022 *Agrahayana 10, Thursday , Saka 1944- December 01, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(पी.पी.पी. डिवीजन)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 28, 2022

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)

संख्या प. 7(656) **एस.एच.ए/पी.पी.पी**/2021-22/ **:-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार दूदू-सांभर-भाटीपुरा (राज्य राजमार्ग संख्या -2) सड़क को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला जयपुर एवं नागौर में निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	जयपुर	दूदू	दूदू
2	जयपुर	दूदू	बिजोलाब
3	जयपुर	दूदू	मालेडा
4	जयपुर	फुलेरा	नारदपुरा
5	जयपुर	फुलेरा	नरायना
6	जयपुर	फुलेरा	मातेडा
7	जयपुर	फुलेरा	बाघपुरा
8	जयपुर	फुलेरा	लालपुरा
9	जयपुर	फुलेरा	बरडोटी
10	जयपुर	फुलेरा	कस्वासांभर
11	जयपुर	फुलेरा	सिवानिया

12	जयपुर	फुलेरा	नोरंगपुरा
13	जयपुर	फुलेरा	काजीपुरा
14	जयपुर	फुलेरा	त्योद
15	जयपुर	फुलेरा	त्योंदा
16	जयपुर	फुलेरा	भादरपुरा
17	नागौर	नावां	भाटीपुरा

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा "इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, भोपाल" एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

संपर्क सूत्र :-

1. योगेश महौर (भूमि अधिग्रहण सह सामाजिक विशेषज्ञ)
2. देवी दयाल सिंह (सहायक भूमि अधिग्रहण सह सामाजिक विशेषज्ञ)

कार्यालय - इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, भोपाल (म0प्र0)

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स

141, सहयोग विहार, अपैक्स बैंक कॉलोनी,

ई- 8 एक्सटेंशन, भोपाल - 462039 (म0प्र0)

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।